न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या – 24/2018

निर्णय दिनांक– 08.06.2018

उनवान

1. रमेशचन्द पुत्र भोलू जाति गुर्जर निवासी रामपुरा धाकडान तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)

वादी

बनाम

1. रमेश पुत्र हजारी लाल जाति गवारिया निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
2. रामस्वरूप पुत्र हजारी लाल जाति गवारिया निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
3. कैलाशी पुत्री हजारी लाल जाति गवारिया निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
4. ज्ञानी पुत्री हजारी लाल जाति गवारिया निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
5. रामी पुत्री हजारी लाल जाति गवारिया निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
6. संतरा पुत्री हजारी लाल जाति गवारिया निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
7. संतोष पुत्री हजारी लाल जाति गवारिया निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
8. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा,इस्तकरारे हक व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित– 1. श्री हरिराज सिंह वादी के वकील
2. श्री देवेन्द्रसिंह हाडा प्रतिवादी 1 से 7 के वकील

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह है कि वादीगण के कब्जे कास्त आराजी खसरा नम्बर 1275 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1276 रकबा 0.84 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.96 हेक्टर वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है। वादग्रस्त आराजी पर वादी का अपने पुर्वजों के समय से अर्थात विगत साठ वर्षो से लगातार बिना किसी बाधा कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

आज भी उक्त आराजी पर वादी का ही बतोरे मालिक व स्वामी कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी गलत विधि विरूद्व प्रतिवादीगण के पिता हजारीलाल पुत्र केसरा जाति गवारिया के नाम गैरखातेदारी में दर्ज हो गयी है। जिसकी जानकारी वादी को प्राप्त होने पर हजारी लाल की मृत्यु उपरान्त के वारिसान प्रतिवादीगण व उसकी माता कंचन देवी से एक इकरारनामा बैचान दिनांक 30.07.2008 को अपने पक्ष में 100 रूपयें के स्टॉप पर लिखवाकर रूबरू गवाहान नोटेरी से सत्यापित करवाकर प्राप्त कर लिया था। जिससे यह साबित है कि वादग्रस्त आराजी पर वादी का निरन्तर बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पर वादी का बिन किसी बाधा के विगत साठ वर्षो से पूर्व से लगातार कब्जा चला आ रहा होने के आधार पर वादी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालिफना के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो चुका है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम गेरखातेदारी दर्ज होने कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उक्त आराजी स्वयं के नाम खातेदारी में करवाये जाने हेतु कहने पर यह वाद अदालत हाजा में पेश किया जाना आवश्यक हुआ।

यह कि वादी की अधियाचना है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादीर डिकी फरमाया जावें। आराजी खसरा नम्बर 1275 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1276 रकबा 0.84 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.96 हेक्टर वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार मजाहमत बेजा नही करे। और न ही वादी को उक्त आराजी से बेदखल करे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 25.04.2016 को इकबाले जवाबदावा पेश किया गया । प्रतिवादीगण द्वारा बताया गया कि उनकी माता कंचन की मृत्यु हो चुकी है।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गयी। बहस पर गोर किया गया। पत्रावली व उसपर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । नकल, जमाबन्दी सम्वत् 2062–65 वाके ग्राम ककोड में आराजी खसरा नम्बर 1275 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1276 रकबा 0.84 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.96 हेक्टर वाके ग्राम ककोड हजारी लाल पुत्र केसरा जाति गवारिया गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 वाके ग्राम ककोड आराजी खसरा नम्बर 1275 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1276 रकबा 0.84 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.96 हेक्टर वाके ग्राम ककोड प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वादी जाति से गुर्जर है। प्रतिवादीगण जाति से गवारिया है जो अनुसूचित जाति की श्रेणी मे आती है। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर जरिये इकरानामा खरीद किया जाना बतया है। जो राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 42 का उलंघन होना पाया जाता है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी का विकय जरियें इकरारनामा कर दिये जाने से उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना नही पाया जाता है। वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा अवैध है। ऐसी स्थिति में न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार करना उचित नही समझता हैं। अतः वाद वादी खारीज किया जाता है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी का

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

बेचान जरियें इकरारनामा कर दिये जाने से तथा उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा कास्त नही होने से आराजी खसरा नम्बर 1275 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1276 रकबा 0.84 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.96 हेक्टर वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अकंन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दफ्तर दाखिल किया जावे। निर्णय मजमे आम खुले न्यायालय मे दिनाक 08.06.2018 को सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

(कैलाश [illegible] गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1. रमेशचन्द पुत्र भोलू जाति गुर्जर निवासी रामपुरा धाकडान तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)

– वादी

बनाम

1. रमेश पुत्र हजारी लाल जाति गवारिया निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
2. रामस्वरूप पुत्र हजारी लाल जाति गवारिया निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
3. कैलाशी पुत्री हजारी लाल जाति गवारिया निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
4. ज्ञानी पुत्री हजारी लाल जाति गवारिया निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
5. रामी पुत्री हजारी लाल जाति गवारिया निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
6. संतरा पुत्री हजारी लाल जाति गवारिया निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
7. संतोष पुत्री हजारी लाल जाति गवारिया निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
8. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा,इस्तकरारे हक व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 24 वर्ष 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री हरिराज सिंह वादी मिनजानिब मुद्दइ व श्री देवेन्द्रसिंह हाडा वकील मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1275 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1276 रकबा 0.84 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.96 हेक्टर वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अकंन किये जाने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner